ऋण प्रदान किया जाता है उनसे आशा की जाती है कि वे संवितरित ऋण के उपयोग पर निगरानी रखेंगे और ऋण की रकम देय होने पर उसकी वसूली करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के उपयोग के आकलन के लिए उसने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दर्शाने के लिए कि शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उधारकर्ता पात्र हैं, विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये हैं तथा जब कभी इन मार्ग-निर्देशों से विचलन का कोई मामला बैंक प्रबन्धन के ध्यान में आता है तो उस पर आवश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का खोला जाना

2430. श्री अजीत जोगी :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक विकास खण्ड में जिसकी आबादी 17 हजार है, बैंक की एक शाखा खोली जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी ग्रामीण व्यक्ति को बैंक की शाखा तक पहुंचने के लिए 10 कि० मी० से ज्यादा की दूरी तय न करनी पड़े ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कितनी बैंक शाखायें खोली जानी चाहिये ; और

(ग) ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जिनके लिए आवेदन पत्र स्वीकृति दिये जाने हेतु लंबित पड़े है तथा उपरोक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की औसत आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना तथा प्रत्येक गांव से 10 कि० मी० की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय उपलब्ध कराना है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूचियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को मध्य प्रदेश राज्य में नीति के मानदंडों के अनुसार अपनी-अपनी शाखाएं खोलने के लिए 487 ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र आबंटित किये हैं। प्रारम्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की शेष अवधि में आबंटित केन्द्रों में चरणबद्ध रीति से शाखाएं खोलने के वास्ते कहा था। लेकिन गांवों में ऋण देने के वास्ते सेवा क्षेत्र योजना के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से उन मामलों को छोड़कर जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 31-3-1989 तक शाखाएं खोलने के लिए कहा है।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से नई शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त तथा मंजूर किए गए आवेदनों का ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है क्योंकि नई शाखाएं खोलने के वास्ते केन्द्रों का आबंटन खण्डवार आवश्यकताओं की विस्तृत समीक्षा के आधार पर किया जाता है ?